

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक ...8.7.22...

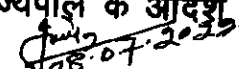
संख्या-7/स्था0-04-16/2019सा0प्र0...1.1.503/परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-66, 1984) की धारा-23 सह पठित धारा-4, 5 एवं 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से, बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली, 2022

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:-
 - (1) यह नियमावली बिहार परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011 के नियम-9(3) का प्रतिस्थापन।-नियम-9(3) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“न्यायालय उपनियम-1 के अधीन अधिसूचित अधिकृत व्यक्तियों की सूची से, दो परामर्शदाता नियुक्त कर सकेगा।”
3. बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011 के नियम-9(6) का प्रतिस्थापन।-नियम-9(6) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

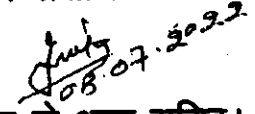
“परामर्शदाता अथवा इस नियम के उपनियम-03 के अधीन सहायक किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा प्रति मामला सिर्फ 1500/- (एक हजार पाँच सौ) रुपये की रकम मानदेय के रूप में प्रधान न्यायाधीश द्वारा स्वविवेक से विनिश्चित किए जाने वाले समुचित प्रक्रम पर किन्तु किसी भी दशा में निर्णय पारित होने के पूर्व दी जा सकेगी। ऐसा मानदेय समय-समय पर और कम से कम प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद पुनरीक्षणीय होगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-16/2019सा0प्र0.....11503.../पटना-15, दिनांक...8-7-22...

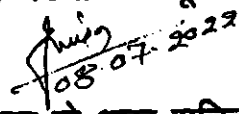
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।


08.07.2022
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-16/2019सा0प्र0.....11503.../पटना-15, दिनांक...8-7-22...

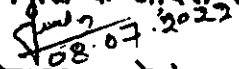
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-13 दिनांक 05.07.2022 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


08.07.2022
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 8-7-22

संख्या-7/स्था0-04-16/2019सा0प्र0.1.1.50.3 दिनांक 8-7-22 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department
Notification

Patna-15, Date 8-7-22

No-7/Astha.-04-16/2019GAD ..1.1.50.4...../In exercise of the powers conferred by Section 23 read with Sections 4, 5 and 6 of the Family Courts Act, 1984 (Central Act No. 66 of 1984), the Governor of Bihar, in consultation with the Patna High Court, Patna is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Family Court Rules, 2011:-

The Bihar Family Court (Amendment) Rules, 2022

1. Short title and commencement.-

(1) This Rules may be called the Bihar Family Court (Amendment) Rules, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Substitution of Rule 9(3) of the Bihar Family Court Rules, 2011.-
Existing Rule 9(3) shall be substituted by as here under:-

“The Court may appoint two Counsellors from the list of authorized persons notified under sub-rule (1).”

3. **Substitution of Rule 9(6) of the Bihar Family Court Rules, 2011.-**
Existing Rule 9(6) shall be substituted by as here under:-

"A Counsellor or a person associated under sub-rule (3) may be paid a sum of Rs. 1500/- (One thousand Five hundred only) per case only as honorarium by the State Government at appropriate stage to be decided by the Principal Judge in his own discretion but in any case before passing of the Judgment. Such honorarium shall be revisable from time to time and at least after every five years."

By order of the Governor of Bihar

[Signature]
08.07.2022
(Shaligram Pandey)

Under Secretary to the Govt.

Memo no.- 7/Astha.-04-16/2019GAD.....\1\SO4...../Patna-15, dated...8.7.22...

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

[Signature]
08.07.2022
Under Secretary to the Govt.

Memo no.- 7/Astha.-04-16/2019GAD.....\1\SO4...../Patna-15, dated...8.7.22...

Copy Forwarded to Accountant General (A & E), Bihar, Patna/Registrar General, High Court, Patna/Principal Secretary, Cabinet secretariat with reference to Cabinet item no.-13 dated 05.07.2022/Secretary, Law Department, Bihar/B.P.S.C., Patna/All District & Session Judges/All Departments/All Head of Departments and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

[Signature]
08.07.2022
Under Secretary to the Govt.